भारत सरकार

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

बायोटेक्नोलॉजी विभाग

****

मासिक मंत्रिमंडल सारांश अप्रैल -2021

I. माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और मुख्य उपलब्धियां:

(i) डीबीटी-बायो बैंक और कोहॉर्ट को बनाए रखने के लिए दिशानिर्देश

डीबीटी-बायो बैंक और कोहॉर्ट को बनाए रखने के लिए दिशानिर्देश स्वीकार कर लिए गए हैं। दस्तावेज का विकास भारत में मौजूदा बायो बैंक/भंडारों और कोहार्ट/जनसांख्यिकीय स्थलों को बनाए रखने के संबंध में दिशानिर्देश उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। यह दस्तावेज उन कार्यक्रमों, जिनका उद्देश्य मौजूदा बायो-बैंक, कोहार्ट और जनसांख्यिकीय स्थलों, विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी विभाग वित्तपोषित अनुसंधान परियोजनाओं के संदर्भ में वहनीयता सहायता प्रदान करने के लिए मुख्य विचारों को दर्शाता है।

(ii) कोविड-19 के समाधान के लिए डीबीटी द्वारा किए गए उपाय

क. मिशन कोविड सुरक्षा - भारतीय कोविड-19 वैक्सीन विकास मिशन

डीबीटी के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बीआईआरएससी, द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे "मिशन कोविड सुरक्षा - भारतीय कोविड-19 वैक्सीन विकास मिशन" के तहत कैंडीडेट वैक्सीन विकास के लिए 5 प्रस्ताव, क्षमता वृद्धि के 4 प्रस्ताव और नैदानिक परीक्षण साइटों को सक्षम बनाने के लिए आगे की प्रक्रिया के लिए 19 प्रस्तावों का चयन किया गया है।

ख. नैदानिक परीक्षण में तेजी लाने के लिए भागीदारी (पीएसीटी) पहल

डीबीटी ने बीआईआरएसी और सीडीएसए के माध्यम से नैदानिक परीक्षण में तेजी लाने के लिए भागीदारी (पीएसीटी) शुरू की है और विदेश मंत्रालय (एमईए) के सहयोग से मित्र देशों में कोविड वैक्सीन के चरण III नैदानिक परीक्षणों की सुविधा के लिए क्षमताओं को सक्षम बनाने के लिए मिलकर काम कर रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे क्रम के तहत, दोनों सत्रों में बहरीन, भूटान, गॉबिया, केन्या, म्यामार, नेपाल और वियतनाम से लगभग 280 भागीदारों के साथ 9 अप्रैल, 2021 को अच्छी चिकित्सीय प्रयोगशाला पद्धतियों पर तीसरा माड्यूल सम्पन्न हुआ।

ग. टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई)

विभाग ने वैक्सीनों में अनुसंधान और क्षमता निर्माण मामलों और कोविड-19 वैक्सीन सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए 06 अप्रैल, 2021 को आयोजित एनटीएजीआई की स्थायी तकनीकी उप-समिति (एसटीएससी) की बैठक में भाग लिया। विभाग ने कोविड-19 वैक्सीनों के लिए अंतर्विरोधों; दूध पिलाने वाली माताओं का टीकाकरण; कोविड-19 के पुन: संक्रमण की परिभाषा; वैक्सीन लगे कोविड पॉजिटिव व्यक्तियों के संगरोधन पर चर्चा करने के लिए 13 अप्रैल, 2021 को एनटीएजीआई की 18वीं कोविड-19 कार्यकारी समूह बैठक में विधिवत रूप से भाग लिया।

घ. विभाग ने भारत में वैक्सीन उत्पादन क्षमताओं की स्थिति की समीक्षा करने के लिए 20 अप्रैल**,** 2021 को माननीय प्रधानमंत्री के साथ भारतीय वैक्सीन निर्माताओं की एक बैठक का समन्वयन किया।

ङ. परीक्षण/निदान

देश भर के सरकारी संस्थानों में कोविड-19 नमूनों के परीक्षण के लिए हब और स्पोक मॉडल में शहरी/क्षेत्रीय समूह स्थापित किए गए हैं। आईसीएमआर दिशानिर्देशों के अनुसार ये हब संबंधित मंत्रालयों/विभागों (डीबीटी, डीएसटी, सीएसआईआर, डीएई, डीआरडीओ, आईसीएआर इत्यादि) द्वारा अनुमोदित सरकारी प्रयोगशालाएँ हैं। अब तक 21 शहरी/क्षेत्रीय समूहों की स्थापना की जा चुकी है और 38.92 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। कोविड जांच के लिए राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान ने आईसीएमआर के साथ पंजीयन किया है।

ग्रामीण भारत में परीक्षण पहुंच को अधिक सुगम बनाने के लिए, माननीय मंत्री द्वारा कोविड परीक्षण के लिए 18 जून, 2020 को शुरू किए गए आई-लैब (संक्रमण रोग प्रयोगशाला) मोबाइल लैब ने फरीदाबाद क्षेत्र में लगभग 17858 परीक्षण किए हैं। डीबीटी ने परीक्षण जारी रखने के लिए सभी हबों को जनशक्ति सहायता प्रदान की है।

(iii) जैव सुरक्षा

क. विभाग ने क्रमश: 01, 15 और 29 अप्रैल, 2021 को आयोजित आनुवांशिक फेरबदल समीक्षा समिति (आरसीजीएम) की 203वीं बैठक में 42 आवेदनों, 204वीं बैठक में 17 आवेदनों और 205वीं बैठक में 35 आवेदनों की समीक्षा की। इन आवदनों में आयात/निर्यात/हस्तांतरण/प्राप्ति, सूचना मद और बायोफार्मा के लिए चिकित्सा-पूर्व

विषाक्तता अध्ययन और कृषि के लिए आयात/निर्यात/हस्तांतरण/प्राप्ति और घटना चयन परीक्षण शामिल हैं। प्रत्येक आवेदन पर विचार-विमर्श के बाद आरसीजीएम द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया गया।

ख. माह के दौरान, आईबीकेपी पोर्टल पर 13 संस्थागत जैव सुरक्षा समितियों का गठन किया गया था।

(iv) **विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) मामले**: प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात की अनुमति मांगने वाले 08 आवेदनों पर विभाग की टिप्पणियों को डीजीएफटी को सूचित किया गया था।

(v) फसल पौधों में जीन एडिटिंग के उपयोग पर चर्चा करने के लिए 15 अप्रैल, 2021 को **पौधों में जीन एडिटिंग पर डीबीटी-आईसीएआर की एक बैठक का आयोजन** किया गया जिसमें सचिव, डीएआरई और डीजी, आईसीएआर, डॉ. त्रिलोचन मोहापात्रा एवं सचिव, डीबीटी, डॉ. रेनु स्वरूप शामिल थी।

(vi) सचिव डीबीटी ने कृषि जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रोफेसर जी.एस. खुश के उत्कृष्ट योगदान के सम्मान में पीएयू लुधियाना में स्थापित किए जा रहे **डॉ. गुरूदेव सिंह खुश आनुवांशिकी**, **पादप प्रजनन एवं जैवप्रौद्योगिकी संस्थान** की आधारशिला रखी।

(vii) **किसी विशिष्ट क्षेत्र में आरएफपी आधारित वित्तपोषित नई परियोजनाएं**

क. **बायोटेक यूआरजेआईटी (ऊर्जित) (विश्वविद्यालय अनुसंधान संयुक्त उद्योग ट्रांसलेशनल) समूह**

ख. विभाग ने बायोटेक यूआरजेआईटी (ऊर्जित) (विश्वविद्यालय अनुसंधान संयुक्त उद्योग ट्रांसलेशनल) समूह के तहत आमंत्रण के लिए 14 विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के मूल्यांकन की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए 28 अप्रैल को एक प्रारंभिक राष्ट्रीय बायोटेक ऊर्जित समूह संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई थी।

ग. **स्वदेशी गायों से अनुसंधान संवर्धन-मुख्य उत्पादों के माध्यम से वैज्ञानिक उपयोगिता (एसयूटीआरए-पीआईसी)**

"स्वदेशी गाय आधारित उपयोगी वस्तुओं से मुख्य उत्पादों पर वैज्ञानिक अनुसंधान**"** विषयगत क्षेत्रों के लिए 29 अप्रैल, 2021 को एसयूटीआरए-पीआईसी कार्यक्रम की तकनीकी विशेषज्ञ समूह की बैठक आयोजित की गई थी। डीबीटी ने 23 प्रस्तावों का चयन किया है जिनकी समीक्षा वित्तपोषण सहायता के लिए की गई थी।

(viii) डीबीटी की सामाजिक रूपरेखा

क. डीबीटी ने भारतीय सार्स-कोव-2 जीनोमिक कंसोर्टियम (आईएनएसएसीओजी) के सहयोगी संस्थानों के साथ 23 अप्रैल, 2021 को "सार्स-कोव-19 की जीनोम अनुक्रमण" पर बेविनार का आयोजन किया।

ख. **फर्स्ट हब: स्टार्ट-अप और नवोन्मेषकों के लिए नवाचार और विनियमों की सुविधा**

फर्स्ट हब एक सुविधा इकाई है जो बीआईआरएसी में डीबीटी द्वारा स्थापित की गई है ताकि नवप्रवर्तकों के प्रश्नों को हल किया जा सके। दुनिया भर में मौजूदा स्थिति के संबंध में नवप्रवर्तकों के प्रश्नों को हल करने के लिए प्रत्येक माह में वैकल्पिक शुक्रवार को आयोजित फर्स्ट हब सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। अप्रैल माह का फर्स्ट हब सत्र 9 व 23 अप्रैल, 2021 को आयोजित किया गया था व इसमें 10 प्रश्नों को हल किया गया। सीडीएससीओ, आईसीएमआर, एनआईबी, जीईएम, केआईएचटी, बीआईएस, डीबीटी और बीआईआरएसी के प्रतिनिधि नियामक पाथवे, वित्तपोषण अवसर, सार्वजनिक खरीद, आईवीडी परीक्षण और वैधता, मानक और विनिर्देश, विनिर्माण और परीक्षण बुनियादी ढांचे के समर्थन पर प्रश्नों के समाधान के लिए उपलब्ध थे।

ग. आईबीएससी सदस्य सचिवों और शोधकर्ताओं के लिए आईबीएससी जागरूकता कार्यक्रम की श्रृंखला में क्रमशः 08 और 22 अप्रैल 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 15 वां तथा 16 वां वेबीनार आयोजित किया गया था।

(ix) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

क. विभाग ने 19 अप्रैल, 2021 को क्वाड वैक्सीन विशेषज्ञ समूह की पहली बैठक में भाग लिया, जिसमें इंडो-पेसिफिक सहायता और वैक्सीन निर्माण विस्तार पर समर्थन, अपडेट के संदर्भ की शर्तों पर चर्चा की गई।

ख. भारत-स्वीडिश, जेसीईसी के 19वें सत्र के प्रोटोकॉल पर की गई कार्यवाही की समीक्षा के लिए 16 अप्रैल, 2021 को आयोजित की गई बैठक में भारत-स्वीडिश आर्थिक और वैज्ञानिक सहयोग आयोग (जीसीईसी) की अर्द्ध-कालिक समीक्षा की गई ।

(x) प्रकाशन और पेटेंट

विभाग के स्वायत्तशासी संस्थानों द्वारा 78 शोध प्रकाशन और 4 पेटेंट दायर/प्रदत्त किए गए।

(xi) डीबीटी के साथ साथ उसके स्वायत्तशासी संस्थानों द्वारा समर्थित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी का विकास/व्यावसायीकरण : 2

डीबीटी-टीएचएसटीआई ने एकीकृत अभिव्यक्ति वेक्टर 'पीबीडी66एन' ("वेक्टर") और संबंधित जानकारी विकसित की है, जो भारतीय पेटेंट आवेदन संख्या 201911046890 में

शामिल है, जिसका उपयोग चिकित्सकीय विकास और बुनियादी अनुसंधान ("उत्पाद") के लिए आनुवांशिक उपकरण के रूप में किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी को मैसर्स बायोहेवन जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को हस्तांतरित कर दिया गया है।

II. महत्वपूर्ण मामलों/मुद्दों पर अनुपालन रिपोर्ट

(i) दीर्घकालीन अंतर-मंत्रालयी परामर्श के कारण लंबित महत्वपूर्ण नीतिगत मामले : लागू नहीं

(ii) मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडलीय समिति के निर्णयों का अनुपालन: लागू नहीं

अनुपालन के लिए लंबित सीओएस निर्णयों की संख्या	सीओएस निर्णयों के अनुपालन के लिए प्रस्तावित कार्य योजना/समय-सीमा	टिप्पणियां
-	-	-

(iii) तीन महीने से अधिक समय से लंबित 'अभियोजन के लिए स्वीकृति' के मामलों की संख्या: शून्य

(iv) ऐसे मामलों का विवरण जिसमें कार्य के आदान-प्रदान में परिवर्तन हुआ है : शून्य

(v) ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन की स्थिति:

सक्रिय फ़ाइलों की कुल संख्या: 13082	अप्रैल, 2021 के दौरान बनाई गई ई-फाइलों की कुल संख्या- 145

(vi) लोक शिकायतों की स्थिति:

माह के दौरान निवारण की गई लोक शिकायतों की संख्या: 23	माह के अंत में लंबित लोक शिकायतों की संख्या: 27

(vii) संचालन और विकास में तकनीक आधारित उपकरणों और अनुप्रयोगों के उपयोग के लिए मंत्रालय/विभाग द्वारा उठाए गए कदम : शून्य

(viii) क. इस बात की पुष्टि करें कि मंत्रालय/विभाग और उसके संगठनों के ए.सी.सी. के दायरे में आने वाले सभी पदों के कार्यकाल का विवरण एवीएमएस पर अद्यतन कर दिया गया है: यह पुष्टि की जाती है कि मंत्रालय/विभाग (डीबीटी के अंतर्गत आने वाले सभी स्वायत्तशासी संस्थानों और उपक्रमों दोनों) में ए.सी.सी. के दायरे में आने वाले सभी पदों का विवरण एवीएमएस पर अद्यतन कर दिया गया है।

ख. एसीसी के निर्देशों के अनुपालन के बारे में स्थिति: उन मामलों के संबंध में एक पैरा जिनमें अलग-अलग शीर्षकों में ए.सी.सी. निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया हैं: यह पुष्टि की जाती है कि ए.सी.सी. के निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

ग. उन मामलों की स्थिति, जहां पीईएसबी से सिफारिशें प्राप्त हुई हैं, लेकिन प्रस्ताव अभी एसीसी सचिवालय को प्रस्तुत किए जाने हैं: सूचित किया जाता है कि इसे 'शून्य' समझा जाए।

(ix) सरकारी ई-बाज़ार (जीईएम) की स्थिति:

अप्रैल, 2021 के माह के लिए जीईएम के माध्यम से विभाग द्वारा 2,38,856/-रु. खरीद की गई है।